

भाग-II

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत ग्राम स्यालब, सुकड, गौल, बडाथा एवं खुशील में स्यालब सुकड पेयजल योजना निर्माण हेतु 0.4268 है० वन भूमि 15 वर्षों की लीज पर उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरकाशी को वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० में	0.4268 है०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.4268 है० आरक्षित वन भूमि मसालगांव 3ए, मसालगांव 4ए, 4बी, तथा 6 एवं किसाला 2बी
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 से अधिक
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कोई वृक्ष बाधित नहीं हो रहे है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि मसालगांव 3ए, मसालगांव 4ए, 4बी, तथा 6 एवं किसाला 2बी सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबद्धि की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	1 है० से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोप नहीं किया जाना है। इस हेतु रिक्त पडे स्थानों पर उर्ध्व प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योत्सव का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	1 है० से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। इस हेतु रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेन्सी स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत- रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 144666 एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 1,00,000=00 रु० का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 144666 एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 1,00,000=00 रु० का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावकलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 97 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 146.2510 है०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेतर भूमि पर-	क- 292.502 है० ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	क- 224.62 है० ख- -
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22-4-2015 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस पेयजल परियोजना हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 25/04/2015
स्थान 12/10-2015

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)